

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013—ज्येष्ठ 3, शक 1935

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 14 मई 2013

क्र. 586.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नगर परिषद् गरोठ, जिला मन्दसौर की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची-1 में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला मन्दसौर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची-1

क्र.	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत	शामिल किये जाने वाले ग्राम (संपूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1 कस्बा गरोठ की राजस्व भूमियां

कस्बा गरोठ की भूमियां

गरोठ

2059.504

कुल क्षेत्रफल : 2059.504

अनुसूची-2

अनुसूची-1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर परिषद् गरोठ की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है :—

उत्तर में—नाथुलाल जी सुतार के मकान खडावदा रोड से होकर ग्राम बरखेड़ा लोया के क्षेत्र अमरवास बालाजी मन्दिर से राजस्व गरोठ सीमा भानपुरा रोड पुलिया तक.

दक्षिण में—राजस्व ग्राम वारनी के रास्ते से दक्षिण में खेड़ापती हनुमान मन्दिर से होते हुए बोलिया रोड औद्योगिक क्षेत्र तक.

पूर्व में—बोलिया रोड औद्योगिक क्षेत्र सीमा से आगे गरोठ राजस्व सीमा से रूपनिया खाल पुलिया तक.

पश्चिम में—नाथुलाल जी सुतार के मकान खडावदा रोड से होकर गरोठ राजस्व सीमा होते हुये ग्राम वारनी रास्ते शामगढ़ रोड गरोठ राजस्व सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Mandsaur, the 14th May 2013

No. 586.—In exercise power conformed by clause 5-A of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government here by notify its intension to include the local area which are shown in the Schedule below with in the limit of the Garoth Nagar Parishad, District Mandsaur. The local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writting to the Collector District Mandsaur within thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration :—

SCHEDULE-1

Sl. No. (1)	Name of the Urban Area/ Gram Panchayat (2)	Name of Villages to be included (Whole Revenue Village) (3)	Tehsil (4)	Area (in Hectares) (5)
1	Village Garoth Revenue Land	The Village Garoth Revenue Land	Garoth	2059.504
Total Area :				2059.504

SCHEDULE-2

Revised boundary of Garoth Nagar Parishad including the area shown in schedule No. 1 will be as below :—

In the North—Natulal Ji Sutar house to Khadawada road Gram Barkheda Loya area to Amarwas Balaji Mandir To wards Revenue Garoth boundary Bhanpura road up to culvert.

In the South—From Warni Revenue gram marg south side Khedapathi Hanuman Mandir to wards Boliya road up to industrial area.

In the East—From Boliya road industrial area for ward Garoth Revenue gram limit to Roopaniya khal culvert.

In the West—Natulal Ji Sutar house to Khadawada road Through Garoth Revenue limit to wards Gram Warni Marg Shamgarh road Garoth Revenue limit.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHSHANK MISHRA, Collector and Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 14 मई 2013

क्र. 18-डूडा-ग्वा.-सीमावृद्धि-2012-13-580.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, न. पा. परिषद, डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश की वर्तमान सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला ग्वालियर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची-1

क्र. (1)	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत (2)	शामिल किये जाने वाले ग्राम (संपूर्ण राजस्व ग्राम) (3)	तहसील (4)	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (5)
1.	सिमरिया ताल	सिमरिया ताल	डबरा	1468.94
2	अरू	अरू	डबरा	491.37
3	इटायल	इटायल	डबरा	794.38
4	बरोठा	1. बरोठा	डबरा	541.80
		2. सिरोही	डबरा	287.85
5	करा	1. करा	डबरा	531.14
		2. गेंडोलखुर्द	डबरा	208.41
6	गेंडोलकलां	1. गेंडोलकलां	डबरा	242.00
		2. तिघरू	डबरा	116.66
		3. सहराई	डबरा	304.66
7	बरगंवा	निभेरा	डबरा	423.71
8	सुल्तानपुर	1. सुल्तानपुर	डबरा	197.00
		2. खेड़ीनटवा	डबरा	184.49
9	मगरोरा	मगरोरा	डबरा	1356.36
10	चाँदपुर	चाँदपुर	डबरा	1148.07
11	डबरागाँव	डबरागाँव	डबरा	824.36
12	रामगढ़ ग्रामीण	रामगढ़ ग्रामीण	डबरा	298.57
13	बुजुर्ग	बुजुर्ग	डबरा	138.49

कुल योग : 9558.26

अनुसूची-2

नगरपालिका सीमा की पुनरीक्षित निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में—ग्राम सिमरिया ताल, सुल्तानपुर, अरू, खेड़ी नटवा उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम सहराई, गेंडोलकलां, गेंडोलखुर्द एवं निभेरा की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम तिघरू, करा, मगरोरा एवं चाँदपुर ग्राम की दक्षिण सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम बरोठा, सिरोही एवं इटायल ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Gwalior, the 14th May 2013

No. 18-Duda-Gwl.-Limit ext-2012-13-580.—In exercise of the power conferred by Clause 5-A Sub Clause (1) of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961), State Government hereby notify its intention to include the local area which are shown in the Schedule below with in the limit of the Dabra Municipal Council Distt. Gwalior. The local Authority having jurisdiction in the said area or any person resident there in may submit his objection or suggestion in writing to the Collector, Distt. Gwalior within thirty days from the date of publication of this notification in “Madhya Pradesh Rajpatra” and State Government take such objection into consideration :—

SCHEDULE-1

Sl. No.	Name of the Urban Area/ Gram Panchayat	Name of Villages to be included (Whole Revenue Village)	Tehsil	Area of included Villages (in Hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Simariya Tal	Simariya Tal	Dabra	1468.94
2	Arroo	Arro	Dabra	491.37
3	Itayal	Itayal	Dabra	794.38
4	Barotha	1. Barotha	Dabra	541.80
		2. Sirohi	Dabra	287.85
5	Karra	1. Karra	Dabra	531.14
		2. Gandol khurd	Dabra	208.41
6	Gandol Kalan	1. Gandol Kalan	Dabra	242.00
		2. Tighroo	Dabra	116.66
		3. Sahrai	Dabra	304.66
7	Baragwan	Nibhera	Dabra	423.71
8	Sultanpur	1. Sultanpur	Dabra	197.00
		2. Khedi Natwa	Dabra	184.49
9	Magrora	Magrora	Dabra	1356.36
10	Chandpur	Chandpur	Dabra	1148.07
11	Dabra gaon	Dabra gaon	Dabra	824.36
12	Ramgarh (Gramin)	Ramgarh (Gramin)	Dabra	298.57
13	Bujurg	Bujurg	Dabra	138.49
			Total Area :	9558.26

SCHEDULE -2

Revised boundary of Dabra Municipality including the area shown in schedule- 1 will as follows:—

In the North—Village Simariya Tal , Sultanpur, Arroo, Khedinatwa up to North boundary.

In the East—Village Sahrai, Gandol Kalan, Gandol Khurd and Nibhera up to East boundary.

In the South—Village Tighroo, Karra, Magrora and Chandpur Village up to South boundary.

In the West—Village Barotha, Sirohi and Itayal Village up to west boundary.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 8 मई 2013

संशोधित अधिसूचना

क्र. 1974-जनगणना-2013.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 15 के भाग 2, भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2013 में प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ क्र. 89 में सरल क्र. 06 के कालम 5 में दिये गये विवरण के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित विवरण पढ़ा जावे—

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
6	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर निगम/ नगरपालिका/छावनी बोर्ड/ नगर परिषद) के अंतर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

स्थान इंदौर

दिनांक 8 मई, 2013.

आकाश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष एवं अति. सचिव एवं
जिला रजिस्ट्रार (एन. पी. आर.).